संख्याः 1064 /18(1)/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व विभाग　　　　　　　　　　　देहरादूनः दिनांकः 9 सितम्बर, 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में जनपद चम्पावत की तहसील लोहाघाट के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1330/नव्रग–भवन/रा0स0/2004–05 दिनांक 28–5–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चम्पावत की तहसील लोहाघाट के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनो का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाये गये रु0 103.30 लाख (रु0 एक करोड़ तीन लाख तीस हजार मात्र) की लागत के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये रु0 50.00 लाख की धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

...(2)

09090500b

5– उक्त धनराशि का दो किश्तों में आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा और प्रथम किश्त के पूर्ण उपयोग के बाद ही द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

8– कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानी जायेगी।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग पहले अनावासीय भवनों के निर्माण को पूर्ण करने में किया जायेगा, तत्पश्चात ही आवासीय भवनों का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा एंव कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण देने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

13– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–आयोजनागत–051–निर्माण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–तहसीलों के अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1496/वि0अनु0–3/2005 दिनांक 2 सितम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही ...(3)